

सं० 27/05/2014-एस०आर०एस०
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक, 10.11.2014

10 NOV 2014

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनउ, उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।

विशय:- दिनांक 18-07-2014 को आयोजित परामर्शीय समिति की संस्तुति की अनुपालन में श्री बच्चुसिंह, प्राध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज लम्बगांव, टिहरी गढ़वाल एवं श्री अरुण कुमार पचाल, सहायक शिक्षक राजकीय इंटर कॉलेज बिदोली पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड का चिकित्सीय व्यथा नीति के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य आवंटन पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विशय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री बच्चुसिंह, प्राध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज, लम्बगांव, टिहरी गढ़वाल एवं श्री अरुण कुमार पचाल, सहायक शिक्षक राजकीय इंटर कॉलेज बिदोली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का चिकित्सिय व्यथा नीति के अंतर्गत उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु परामर्शी समिति की दिनांक 18-07-2014 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि बच्चुसिंह, वर्तमान में बाईपोलर अपफ्रेक्टिव डिसऑर्डर से ग्रसित हैं एवं श्री अरुण कुमार पचाल, सी०के०डी० ग्रेड-3 कॉज क्वेरी सी०जी०एन० विद् हाइपरटेंशन से ग्रसित है। अतः समिति द्वारा संस्तुति की गई कि इन्हें चिकित्सीय व्यथा नीति का लाभ देते हुए उत्तर प्रदेश आवंटित किया जाये।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री बच्चुसिंह, प्राध्यापक एवं अरुण कुमार पचाल, सहायक शिक्षक का राज्य पुनरावंटन चिकित्सीय व्यथा आवंटन नीति के अंतर्गत उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश राज्य के लिये किया जाता है।
3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए एवं तदनुसार उपर्युक्त आदेश पारित किया जाए ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46 बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनउ ।
2. सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।
3. श्री बच्चुसिंह, प्राध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज लम्बगांव, टिहरी गढ़वाल ।
4. श्री अरुण कुमार पचाल, सहायक शिक्षक राजकीय इंटर कॉलेज बिदोली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड ।

